

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :- /

1. गुरमेज सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी 10 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

वादी

बनाम

- |  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| 1 श्रीमती परमजीत कौर पत्नि श्री अजायब सिंह | } | जातियान जटसिख निवासीगण |
| 2 अंग्रेज सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह       |   | 10 बीडी तहसील खाजूवाला |
| 3 गुरप्रीत कौर पत्नि श्री अंग्रेज सिंह     |   | जिला बीकानेर राज.      |
| 1. उप पंजीयक खाजूवाला।                     |   |                        |
| 2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला। |   |                        |

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,53 आर.टी.एक्ट

-: निर्णय :-

दिनांक :-

वाद का ब्यौरा इस प्रकार है कि विवादित आराजी चक 10 बीडी (बी) के मुरब्बा नंबर 133/51 में 9.16 बीघा भूमि और मुरब्बा नंबर 133/59 में 5 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 परमजीत कौर पत्नी अजायब सिंह के नाम दर्ज है। वादी ने दावा किया है यह जमीन उनकी पैतृक संपत्ति है और 3 नवंबर 2016 को वादी, वादी के माता-पिता और भाई व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक पारिवारिक समझौता किया गया था जिसके मुताबिक मुरब्बा नंबर 133/51 के किला नंबर 4, 7, 14, 17, व 24, में कुल 4.18 बीघा भूमि वादी के हिस्से में आई थी। अब प्रतिवादी संख्या 1 इस जमीन को प्रतिवादी संख्या 3 के नाम जरिए दानपात्र हस्तांतरित करवा रहे हैं। वादी ने अनुतोष चाहा है कि उक्त दान पत्र को शून्य घोषित किया जा कर विवादित आराजी वादी के नाम दर्ज रिकार्ड की जाए।

प्रतिवादी गण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत पेश कर कहा है कि उक्त संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की अर्जित संपत्ति है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 की धारा 14 के तहत हिंदू नारी की संपत्ति पर उसका पूर्ण अधिकार होगा। इसलिए यह वाद **barred by law** है। प्रतिवादी गण ने यह आपत्ति भी पेश की है कि उक्त पारिवारिक समझौते के आधार पर पूर्व में भी इसी न्यायालय में अजायब सिंह द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे 6.11.2017 को निरस्त कर दिया गया था।

वादी ने इसका जवाब देते हुए कहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 की धारा 14 (2) के तहत स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण के तहत इस संपत्ति पर धारा 14 लागू नहीं होती है।

अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया और सुसंगत कानूनी प्रावधानों पर भी गौर किया गया। हिंदू अधिनियम उत्तराधिकार अधिनियम 1955 की धारा 14 स्पष्ट तौर पर यह कहती है हिंदू नारी अपनी संपत्ति को पूर्ण स्वामी के रूप में धारित करेगी ना कि मर्यादित स्वामी के रूप में। धारा 14 (2) के मुताबिक हिंदू नारी उन परिस्थितियों में संपत्ति को मर्यादित स्वामी के तौर पर धारण करेगी जबकि उस दस्तावेज, जिसके द्वारा हिंदू नारी द्वारा वह संपत्ति अर्जित की गई है, के द्वारा ही हिंदू नारी के अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अदालत का मानना है की प्रतिवादी द्वारा धारा 14 (2) की सही व्याख्या नहीं की गई है।

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है की वादी को अपनी माता के नाम दर्ज संपत्ति पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह दावा **barred by law** है। इसलिए इस दावे को इस स्तर पर खारिज किया जाता है। इसी के साथ प्रार्थना पत्र संख्या 94/2020 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में मुरब्बा नंबर 133 /51 की 9.16 बीघा भूमि पर जारी किए गए स्थगन आदेश दिनांक 31.08.2020 को भी निरस्त किया जाता है।

अदालत का मानना है कि इस बात की जांच करने की कोई जरूरत नहीं है कि उक्त जमीन परमजीत कौर की स्व अर्जित संपत्ति है या पैतृक संपत्ति क्योंकि दोनों ही स्थितियों में वह उस जमीन की पूर्ण स्वामी है। हालांकि परमजीत कौर द्वारा विक्रय पत्र प्रस्तुत किए गए हैं जिससे साबित होता है कि यह जमीन उसकी स्व अर्जित संपत्ति है।

अदालत द्वारा वाद पत्र, प्रतिवादी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों और परिवारिक समझौता 2016 का अध्ययन किया गया। इस समझौते में चक 10 बीडी (ए) के मुरब्बा नंबर 153/20, चक 10 बीडी (बी) के मुरब्बा नंबर 133/51 और मुरब्बा नंबर 133/59 की जमीन का जिक्र है जो समझौते वाले दिन परमजीत कौर के नाम दर्ज थी।

अदालत धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस समझौते के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां करना चाहती है। 2016 का पारिवारिक समझौता गैर पंजीकृत अनौपचारिक बंदोबस्त है कि किस तरह से परमजीत के नाम दर्ज जमीन का हस्तांतरण उसके पति और पुत्रों के पक्ष में किया जाएगा। लेकिन यदि आज की तारीख में पक्षकार इस समझौते के मुताबिक अपनी जमीन का हस्तांतरण नहीं करना चाहती हैं तो उन्हें इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि समझौते में लिखी गई जमीन समझौते वाले दिन परमजीत कौर के नाम दर्ज थी। परमजीत कौर के पति या पुत्र का उस जमीन में कोई कानूनी हक नहीं है (धारा 14 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत)। इसलिए वादी द्वारा या अन्य किसी द्वारा भी उस समझौते के आधार पर परमजीत कौर के खिलाफ दावा नहीं लाया जा सकता।

यहां यह बात भी गौरतलब है कि उक्त समझौता किसी संयुक्त संपत्ति के विभाजन से संबंधित नहीं है बल्कि परमजीत कौर के नाम दर्ज जमीन के हस्तांतरण से संबंधित है। इसलिए परमजीत कौर की सहमति के खिलाफ इसे अमल में नहीं लाया जा सकता।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),  
(आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी,  
(खाजूवाला)